कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

संख्याः–एमई–3/2017/1337 लखनऊःदिनांक–7 सितम्बर, 2017

कार्यालय आदेश

रिट याचिका संख्या–20275 (एम0बी0) ऑफ 2017 जी0सी0आर0जी0 मेमोरियल ट्रस्ट व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ बेन्च लखनऊ के आदेश दिनांक–01.09.2017 यथा संशोधित आदेश दिनांक–04.09.2017 के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या–एमई–3/2017/1315, दिनांक–05 सितम्बर, 2017 द्वारा जी0सी0आर0जी0 इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 150 सीटों पर शैक्षणिक सत्र 2017–18 में प्रवेश हेतु मेरिट के आधार पर नीट यू0जी0–2017 में सफल एवं उक्त कालेज में प्रवेश के इच्छुक आनलाइन पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर 150 अभ्यर्थियों का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन आदेश मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर एस0एल0पी0(सी) संख्या–023410/2017 मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया बनाम जी0सी0आर0जी0 इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अधीन किया गया था।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त एस0एल0पी0 में दिनांक–06.09.2017 को निम्नवत् आदेश पारित किए गये हैंः–

"As an interim order, it is directed that there shall be stay of the operation of order dated 1st September, 2017 further corrected on 4th September, 2017.

If the Institution has admitted students they are debarred from continuing in the course."

मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक–06.09.2017 के अनुपालन में जी0सी0आर0जी0 इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 150 सीटों के सापेक्ष किए गये आवंटन को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए प्रधानाचार्य जी0सी0आर0जी0 इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पर्वतपुर, बक्शी का तालाब लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त करते हुए जमा की गयी फीस अभ्यर्थियों को वापस कर दी जाय तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के विषयगत आदेशों के अनुपालन की स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक–08.09.2017 तक अनिवार्य रूप से अवगत् कराया जाए।

(के0 के0 गुप्ता)
महानिदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधानाचार्य, जी0सी0आर0जी0 इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पर्वतपुर, बक्शी का तालाब लखनऊ को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक–6.9.2017 की प्रति संलग्न करते हुए इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं कृतकार्यवाही से दिनांक–08.09.2017 तक अवगत् कराने का कष्ट करें।

2– सम्बन्धित आवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थीगण।

3– सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारका, नई दिल्ली–110077.

(के0 के0 गुप्ता)
महानिदेशक